राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प0 7(2)राज/वाद/18पार्ट–II जयपुर, दिनांक 24-7-2020

:: आदेश ::

कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा, 2013 के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के बैकलॉग पदों पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा, 2018 की रिजर्व लिस्ट से पिक–अप किये गये चयनित अभ्यर्थियों में से इस विभाग को आवंटित निम्नांकित NON-TSP अभ्यर्थियों को राजस्थान सेवा नियम एवं राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम, 1999 के अन्तर्गत अस्थाई आधार पर कनिष्ठ सहायक के रिक्त पद पर कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 20.01.2006 एवं वित्त नियम विभाग की अधिसूचना क्रमांक 15(1)वित्त/नियम/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 के अनुसार 02 वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (Probationer-Trainee) के रूप में नियत पारिश्रमिक 14600/– प्रतिमाह एवं परिवीक्षाकाल संतोषजनक रूप से पूर्ण करने के उपरान्त पे–मैट्रिक्स लेवल संख्या–5 पर अधोलिखित शर्तों पर कार्यभार सम्भालने की तिथि से नियुक्त किया जाकर इनका पदस्थापन इनके नाम के सम्मुख अंकित इस विभाग के अधीन कार्यालय में एतद्द्वारा किया जाता है:–

क्र. स.	मेरिट न0	रोल न0	नाम	पिता का नाम	जन्म तिथि	श्रेणी	पदस्थापन कार्यालय
1	2	3	4	5	6	7	8
1	19287	1868126	राहुल कुमार बशीवाल	हनुमान बंशीवाल	01.01.93	एस.सी.	विशिष्ठ लोक अभियोजक, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005, प्रतापगढ़।
2	19426	2226305	विनीत कुमार	सत्यप्रकाश	10.03.94	एस.सी.	विशिष्ठ लोक अभियोजक, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005, सं03, अलवर।
3	19453	1369533	छितर मल वर्मा	रामपाल रैगर	01.12.95	एस.सी.	अपर लोक अभियोजक, एवं राजकीय अभिभाषक,सं03, ब्यावर, जिला अजमेर।
4	19539	1945057	राकेश कुमार वर्मा	मदन लाल वर्मा	02.11.90	एस.सी.	अपर लोक अभियोजक, एवं राजकीय अभिभाषक, महुआ, जिला दौसा।
5	19559	2179725	विजेन्द्र कुमार रातावाल	मक्खन लाल रातावाल	10.06.96	एस.सी.	विशिष्ठ लोक अभियोजक, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005, सं04, अलवर।
6	19667	2475958	उमेश चन्द्र	नाथू राम धोबी	23.09.95	एस.सी.	विशिष्ठ लोक अभियोजक, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005, सं01, पाली।
7	22738	1708150	महेश कुमार मीणा	मोहन लाल मीणा	10.07.90	एस.टी.	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक सं01, तिजारा, जिला अलवर।
8	22983	2122073	राजेश सिंह गुनावत	ऊंकार लाल मीणा	07.07.93	एस.टी.	विशिष्ठ लोक अभियोजक, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005, करौली।
9	23002	2365258	सीताराम मीणा	दुर्गालाल मीणा	03.04.93	एस.टी.	अपर लोक अभियोजक सं04, कोटा।
10	23085	2049818	नन्द लाल मीणा	रामचन्द्र मीणा	13.01.92	एस.टी.	विशिष्ठ लोक अभियोजक, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005, स0 1, भीलवाडा।

24/7/2020

11	23130	1866410	राजेश कुमार मीणा	फूलचन्द मीणा	20.06.99	एस.टी.	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, सं02, तिजारा, जिला अलवर।
12	23152	2455444	विनोद सिह मीणा	ऊँकार लाल मीणा	04.06.92	एस.टी.	विशिष्ठ लोक अभियोजक, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005, सं04, कोटा।
13	26916	2411529	सुनिता महावर	ओमप्रकाश महावर	16.02.93	एस.सी.	विशिष्ठ लोक अभियोजक, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005, सं05, कोटा
14	26928	1415947	अनिता पंवार	बाबूराम पंवार	04.04.94	एस.सी.	विशिष्ठ लोक अभियोजक, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005, जैसलमेर।
15	26985	2311282	शैफाली वर्मा	भंवर लाल वर्मा	31.10.95	एस.सी.	विशिष्ठ लोक अभियोजक, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005, सवाईमाधोपुर।

उक्त नियुक्तियां निम्नलिखित शर्तो के अधीन की जा रही है:—

1. परिवीक्षाकाल अवधि के दौरान वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना संख्या एफ.12(6) एफ.डी./रूल्स/05 दिनांक 13.03.06, एफ 6(6)एफडी/रूल्स/2005 दिनांक 13.03.2006, एफ.1(2)एफडी/रूल्स/2006 दिनांक 13.03.2006 एवं एफ.13 (1)एफडी /रूल्स/2003 दिनांक 13.03.2006 में वर्णित शर्तों के अनुरूप रहेगी।
2. वित्त विभाग की अधिसूचना कमांक एफ 15(1)एफडी/रूल्स/2017, दिनांक 30.10.17 एवं 09.12.17 के द्वारा अधिसूचित राजस्थान सिविल सर्विसेज (संशोधित वेतनमान) नियम 2017 के अनुसूची–4 के नियम 16 के संबंधित लेवल L–5 के अनुसार परिवीक्षाकाल अवधि में नियत पारिश्रमिक (फिक्स रेम्यूनरेशन) रू. 14600/– प्रतिमाह की दर से देय होंगे। यह पारिश्रमिक माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ में हुए निर्णय के विरूद्ध माननीय सर्वोच्य न्यायालय में की गई एस.एल.पी. 25565/2015 राजस्थान राज्य बनाम गोपाल कुमावत के निर्णय के अध्यधीन होगा।
3. दो वर्ष की परिवीक्षाकाल में संतोषजनक सेवा पूर्ण करने के उपरान्त इन्हें कनिष्ठ सहायक की नियमित वेतन श्रृंखला वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 30.10.17 एवं 09.12.17 द्वारा, राजस्थान सिविल सर्विसेज (संशोधित वेतनमान) नियम 2017 की अनुसूची–प्रथम, पार्ट–बी के नियम नियम–5(vi) और (vii) के पे–मेट्रिक्स के अनुसार लेवल L-5 के सेल नं0–1 के अनुसार वेतन एवं अन्य भत्ते देय होंगे।
4. अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व नियत वेतन (Fix Pay) पर कार्य करने की अपनी सहमति लिखित रूप में प्रस्तुत करनी होगी।
5. उक्त नियुक्तियां सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के परिपत्र एफ 11/एसटी एससी ओबीसी एसबीसी/जा.प्र.प./सामान्यअवि/2015/54159 दिनांक 09.09.2015, पत्रांक 63606–726 दिनांक 20.10.2015 एवं प011(204) आरएण्डपी /डीडीबीसी /सान्याअवि/ 2011 /68999 –69032 जयपुर दिनांक 11.11.2016 में वर्णित दिशा–निर्देशों/सत्यापन के अध्यधीन पूर्णतया अस्थाई रूप से रहेगी।
6. राज्य सरकार के परिपत्र पं.13(1)वित्त/नियम/2003 दिनांक 28.01.2004, 27.03.2004 एवं 13.03.2006 के तहत अंशदायी पेंशन योजना के प्रावधान लागू होंगे एवं अन्य आदेश जो राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये हों, उनके अधीन ही सेवा एवं सेवा लाभ देय होंगे। राज्य सेवा में दिनांक 01.01.2004 से अथवा इनके पश्चात् नियुक्त कर्मचारियों पर नवीन अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।
7. उक्त नियुक्तियों पर वित्त विभाग की अधिसूचना कमांक एफ.6(4)वित्त/नियम/99 दिनांक 01.04.2004 के अनुसार चिकित्सा परिचर्या नियम 1970 के प्रावधान लागू नहीं होंगे एवं वित्त विभाग के आदेश कमांकएफ.6(5)वित्त/नियम/99 दिनांक 27.07.2004 के अनुसार मेडिक्लेम बीमा योजना लागू होगी।

8. परीवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में अन्य सुविधा या अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों में संशोधित प्रावधानों के अनुसार देय होंगे।
9. परिवीक्षाकाल में अन्य भत्ते (मकान किराया, मंहगाई, यात्रा, शहरी क्षतिपूर्ति एवं विशेष वेतन) देय नही होंगे।
10. परिवीक्षाकाल (Probation Period) में कोई वार्षिक वेतन वृद्धि देय नहीं होगी।
11. अभ्यर्थियों का परिवीक्षा काल में प्रत्येक कलेण्डर वर्ष में 15 दिवस का आकस्मिक अवकाश देय होगा। नियुक्ति कलेण्डर वर्ष के मध्य में होने से आनुपातिक रूप से आकस्मिक अवकाश देय होगा।
12. यदि अभ्यर्थी का कार्य एवं आचरण परीवीक्षा अवधि में कभी भी अथवा परिवीक्षाकाल की समाप्ति पर संतोषप्रद नहीं पाया गया अथवा परीवीक्षा काल की समाप्ति पर ली गई विभागीय परीक्षा यदि कोई हो तो, में असफल रहने पर उन्हें बिना किसी क्षतिपूर्ति के सेवा से किसी भी समय विमुक्त किया जा सकेगा।
13. आदेश जारी होने की दिनांक से 15 दिवस के अन्दर उपरोक्त अभ्यर्थियों को अपने पद का कार्यभार सम्भालना होगा। किसी कारणवश 15 दिवस में उक्त पद का कार्यभार संभालने में असमर्थ हो, तो पूर्ण विवरण के साथ कारण स्पष्ट करते हुये अधोहस्ताक्षरकर्ता को सूचित कर देवें, कि वे कब तक कार्यभार संभालेंगे अथवा कोई उत्तर प्राप्त नहीं होने की स्थिति में नियुक्ति आदेश निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी।
14. जो अभ्यर्थी पूर्व से ही नियमित राज्य सेवा में कार्यरत हैं, उन्हें राज्य सरकार के नियमानुसार ही वेतन,भत्ते देय होंगे परन्तु पदस्थापन पर कार्यग्रहण के समय पूर्व नियोजक के द्वारा उचित माध्यम (Through Proper Channel) से कार्यमुक्त किये जाने का आदेश, अनापत्ति प्रमाण–पत्र एवं गत भुगतान प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
15. अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व राजस्थान सेवा नियमों के नियम 10 के अनुसार सक्षम अधिकारी, किसी राजकीय मुख्य चिकित्सा अधिकारी का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
16. उक्त नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों/परिपत्रों के अन्तर्गत शामिल होगी एवं समय–समय पर जारी किये गये निर्देश/परिपत्र लागू होंगे।
17. संबंधित अभ्यर्थियों के पुलिस विभाग द्वारा चरित्र सत्यापन रिपोर्ट में कोई विपरीत तथ्य पाये जाने पर चयनित अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त किये जाने का अधिकार राज्य सरकार/विभाग के पास सुरक्षित रहेगा, अर्थात नियुक्ति चरित्र सत्यापन रिपोर्ट के अध्यधीन रहेगी।
18. अभ्यर्थी की नियुक्ति तिथि कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्यग्रहण की तिथि से मान्य होगी।
19. अभ्यर्थियों को कार्यग्रहण करने से पूर्व इस आशय का शपथ–पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनके द्वारा आवेदन पत्र में दी गयी समस्त सूचनाएं एवं संलग्न किये गये प्रमाण–पत्र सत्य हैं। प्रस्तुत दस्तावेजों में से कोई दस्तावेज/सूचना, असत्य/फर्जी पाये जाने पर राज्य सरकार/विभाग इनकी सेवायें तत्काल समाप्त कर सकेगी।
20. चयनित अभ्यर्थियों के अपने से वरिष्ठ/कनिष्ठ के पूर्व में एवं बाद में कार्यग्रहण करने की स्थिति में इनकी वरिष्ठता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इनकी वरिष्ठता का निर्धारण राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जारी मेरिट सूची के आधार पर ही होगा।
21. सभी अभ्यर्थियों की जन्म तिथि उनके द्वारा प्रस्तुत सैकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण करने के मूल प्रमाण पत्र के आधार पर अंकित की गई है। अंकित की गयी जन्म तिथि अपरिवर्तनीय होगी।
22. अभ्यर्थी को कार्यभार सम्भालने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

24/7/2020

(हुकम सिंह राजपुरोहित)
शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर।
2. शासन उप सचिव, प्रशासनिक सुधार (ग्रुप–3)विभाग,शासन सचिवालय,जयपुर को उनके पत्र कमांक प.1(2)प्र.सु./अनु–3/2020 दिनांक 18.06.2020 के क्रम में।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, विधि।
4. संबंधित जिला कलक्टर को प्रेषित कर लेख है कि राजस्थान सेवा नियमों के नियम 10 के अनुसार सक्षम अधिकारी, किसी राजकीय मुख्य चिकित्सा अधिकारी का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त संबंधित अभ्यर्थी को कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्य ग्रहण करवाकर संबंधित कार्यालय में उपस्थिति प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित कर इस विभाग को अवगत करावें।
5. संबंधित विशिष्ठ/अपर लोक अभियोजकगण ।
6. संबंधित सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग।
7. संबंधित कोषाधिकारी।
8. सहायक लेखाधिकारी–प्रथम,वादकरण।
9. संबंधित अभ्यर्थी............।
10. प्रोगामर, विधि विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।

24/7/20

(अनुपमा राजीव बिजलानी)
विशिष्ठ शासन सचिव, वादकरण